बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

अधिसूचना

संचिका संख्या 7/नियो०–12/2020..................../   पटना, दिनांक ....

भारत के संविधान के अनुच्छेद–243 ब (12वीं अनुसूची) तथा बिहार नगर पालिका अधिनियम, 2007 की धारा–45, 47 (4) एवं 419 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य के शहरी क्षेत्र के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक, प्रधान अध्यापक एवं अनुदेशक के नियुक्ति, प्रोन्नति एवं उनके सेवाशर्त को विनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

"बिहार नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली 2020"

प्रस्तावना :– भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 'क' के अन्तर्गत 6–14 आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा उनका मौलिक अधिकार है। उक्त प्रावधान को लागू करने हेतु भारत सरकार के द्वारा "बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009" अधिसूचित की गई। इस अधिनियम एवं 74वें संविधान संशोधन की पृष्ठभूमि में सम्यक् विचारोपरांत राज्य के शहरी क्षेत्र के प्रारंभिक विद्यालयों में नगर पालिकाओं की संस्थाओं के द्वारा शिक्षकों एवं अनुदेशकों की नियुक्ति का निर्णय पूर्व में लिया गया था। इस क्रम में नियुक्ति की प्रक्रिया एवं शिक्षकों के सेवा–शर्त्त में सुधार के उद्देश्य से यह नियमावली बनायी जा रही है।

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ–**
   (1) यह नियमावली "बिहार नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2020" कही जाएगी।
   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (3) यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी।

2. **परिभाषाएँ:–** इस नियमावली में जब तक विषय या संदर्भ के विरूद्ध कोई बात न हो –
   (i) **"सरकार"** से अभिप्रेत है, बिहार सरकार ;
   (ii) **"प्रशासी विभाग"** से अभिप्रेत है, शिक्षा विभाग;
   (iii) **"प्राथमिक विद्यालय"** से अभिप्रेत है, वैसे राजकीय या राजकीयकृत विद्यालय जहाँ वर्त्तमान में कक्षा पाँच तक की शिक्षा की व्यवस्था है ;
   (iv) **"मध्य विद्यालय"** से अभिप्रेत है, वैसे राजकीय/राजकीयकृत विद्यालय जहाँ वर्त्तमान में कक्षा आठ तक की शिक्षा की व्यवस्था है ;
   (v) **"प्रारंभिक विद्यालय"** से अभिप्रेत है, राजकीय/राजकीयकृत प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय,
   (vi) **"उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय"** से अभिप्रेत है, तत्कालीन संचालित राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अथवा राज्य सरकार के संकल्प संख्या–1021 दिनांक–05.07.2013 के तहत मध्य विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित विद्यालय ;
   (vii) **"उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय"** से अभिप्रेत है, राज्य सरकार के संकल्प संख्या–1021 दिनांक–05.07.2013 के तहत मध्य विद्यालय अथवा माध्यमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित विद्यालय ;

(viii) **''नगर निकाय''** से अभिप्रेत है, शहरी क्षेत्र के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अधीन गठित स्वशासी संस्था–नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत ;

(ix) **"संवर्ग"** से अभिप्रेत है, इस नियमावली के अधीन नगर निकाय क्षेत्राधीन प्रारंभिक/ उत्क्रमित माध्यमिक/ उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में नियुक्त होने वाले नगर प्रारंभिक शिक्षक एवं मध्य विद्यालय के प्रधान अध्यापक का संवर्ग ;

(x) **"नियुक्ति प्राधिकार"** से अभिप्रेत है, इस नियमावली के अधीन गठित होने वाली समिति, जो शिक्षक, प्रधान अध्यापक एवं अनुदेशक के पद पर सीधी नियुक्ति/प्रोन्नति करने हेतु सक्षम हो ;

(xi) **"अनुशासनिक प्राधिकार"** से अभिप्रेत है, इस नियमावली के अधीन शिक्षक, प्रधान अध्यापक एवं अनुदेशक के पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति करने हेतु गठित समिति, जो इनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने हेतु सक्षम हो ;

(xii) **''अपीलीय प्राधिकार''** से अभिप्रेत है, इस नियमावली के अधीन नियुक्ति संबंधी शिकायत/अपील तथा इस नियमावली के अधीन कार्यरत प्रधान अध्यापक/शिक्षक /अनुदेशक की सेवाशर्त से जुड़े मामलों पर अपील सुनकर विनिश्चय करने हेतु जिला स्तर पर गठित ''जिला अपीलीय प्राधिकार'' एवं जिला अपीलीय प्राधिकार के निर्णय पर अपील सुनने हेतु राज्य स्तर पर गठित ''राज्य अपीलीय प्राधिकार'' ;

(xiii) **"शिक्षक" से अभिप्रेत है –**

(क) इस नियमावली के अधीन कक्षा I से V तक के अध्यापन हेतु नियुक्त मूल कोटि के नगर प्रारंभिक शिक्षक ;

(ख) इस नियमावली के अधीन कक्षा VI से VIII तक के अध्यापन हेतु नियुक्त स्नातक कोटि के नगर प्रारंभिक शिक्षक ;

(xiv) **"अनुदेशक"** से अभिप्रेत है, इस नियमावली के अधीन कक्षा VI से VIII तक के लिए मध्य विद्यालय/उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय/उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में नियुक्त होने वाले संगीत अथवा ललित कला (आर्ट) के अनुदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य के अनुदेशक तथा समाजोत्पादक कार्य के अनुदेशक, जिनका पद अंशकालिक होगा ;

(xv) **"प्रधान अध्यापक"** से अभिप्रेत है, इस नियमावली के अधीन कक्षा–8 तक के लिए नियुक्त होने वाले प्रधान अध्यापक ;

(xvi) **"विश्वविद्यालय"** से अभिप्रेत है, परिनियत (स्टैच्यूटरी) से गठित विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय ;

(xvii) **''राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्''** से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय स्तर पर विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण संस्थानों एवं प्रशिक्षण व्यवस्था को विनियमित करने वाली परिषद् ;

(xviii) **"शिक्षक पात्रता परीक्षा"** से अभिप्रेत है, इस नियमावली के अधीन सीधी नियुक्ति प्रक्रिया से नियुक्त होने वाले शिक्षक के पद से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए केन्द्र सरकार अथवा बिहार सरकार द्वारा आयोजित होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा ;

(xix) **"अनुदेशक पात्रता परीक्षा"** से अभिप्रेत है, इस नियमावली के अधीन सीधी नियुक्ति प्रक्रिया से नियुक्त होने वाले अनुदेशक के पद से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए आयोजित होने वाली पात्रता परीक्षा ;

(xx) **"शिक्षक प्रशिक्षण"** से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) अधिनियम, 1993 के प्रवृत्त होने के पूर्व केन्द्र या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम के प्रवृत्त होने के उपरान्त NCTE से मान्यता प्राप्त संस्थानों से डी॰एल॰एड॰/ बी०एड०/ बी०ए०एड०/बी०एससी०एड०/ बी०एल०एड० की डिग्री अथवा वैसे राज्य /केन्द्रशासित प्रदेश जहाँ NCTE अधिनियम प्रभावी नहीं है, उस राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डी॰एल॰एड॰/ बी०एड०/बी०ए०एड०/बी०एससी०एड०/ बी०एल०एड० की डिग्री ;

(xxi) **"विद्यालय शिक्षा समिति"** से अभिप्रेत है, प्रत्येक प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण हेतु राज्य सरकार के नियमावली के अधीन गठित समिति ;

3. **<u>नगर प्रारंभिक शिक्षकों की श्रेणी:–</u>** नगर प्रारंभिक शिक्षक निम्नलिखित दो श्रेणी के होंगे :–

(क) **नगर शिक्षक (मध्य विद्यालय)–** नगर निकाय क्षेत्र के मध्य विद्यालयों/उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय/उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा I से VIII तक में नियुक्त होने वाले शिक्षक।

(ख) **नगर शिक्षक (प्राथमिक विद्यालय):–** नगर निकाय क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा I से V तक में नियुक्त होने वाले शिक्षक।

4. **नगर प्रारंभिक शिक्षकों का संवर्ग–** नगर प्रारंभिक शिक्षक के संवर्ग का गठन निम्नलिखित तीन कोटि के शिक्षकों को मिलाकर होगा :–

(i) मूल कोटि (कक्षा I से V)

(ii) स्नातक कोटि (कक्षा VI से VIII)

(iii) मध्य विद्यालय के प्रधान अध्यापक

[नोट:– प्राथमिक विद्यालय का मध्य विद्यालय में उत्क्रमण के फलस्वरुप नगर शिक्षक (प्राथमिक विद्यालय) स्वतः नगर शिक्षक (मध्य विद्यालय) की प्रासंगिक श्रेणी में आ जायेंगे।]

5. **नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता :–**

(1) **<u>नगर प्रारंभिक शिक्षक संवर्ग के मूल कोटि (कक्षा I-V) के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाऐंगे। इस पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता निम्नवत् होंगी</u> :–**

(क) न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (जिस नाम से भी जाना जाता हो)

या

न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (जिस नाम से भी जाना जाता हो), जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानक और क्रियाविधि) विनियम 2002, के अनुसार प्राप्त किया गया हो।

या

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र स्नातक (बी०एल०एड०)

या

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (विशेष शिक्षा)

या

50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक (बी0एड0)।

नोट :– जिसने एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा–स्नातक की उपाधि प्राप्त की है उस पर कक्षा I-V तक पढ़ाने के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा, किन्तु इस प्रकार शिक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को नियुक्ति तिथि से दो वर्ष के अन्दर एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) पूर्ण करना आवश्यक होगा।

और

(ख) केन्द्र अथवा बिहार सरकार द्वारा कक्षा I-V तक पढ़ाने के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु आयोजित "शिक्षक पात्रता परीक्षा" (टी०ई०टी०) में उत्तीर्ण।

(2) **नगर प्रारंभिक शिक्षक संवर्ग के स्नातक कोटि (कक्षा VI-VIII)** :– मध्य विद्यालयों में स्नातक कोटि (कक्षा VI-VIII) के शिक्षकों के विषयवार निम्न पदों पर नियुक्ति की जाएगी:–

(i) गणित एवं विज्ञान शिक्षक।

(ii) सामाजिक विज्ञान शिक्षक।

(iii) भाषा शिक्षक।

नगर प्रारंभिक शिक्षक के स्नातक कोटि (कक्षा VI-VIII) के शिक्षकों के 50 प्रतिशत पद सीधी नियुक्ति से भरे जाऐंगे, जबकि शेष 50 प्रतिशत पद प्रोन्नति से भरे जाऐंगे।

(i) **सीधी नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता निम्नवत् होंगी :**

(क) बी०ए०/बी०एस०सी० और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (जिस नाम से भी जाना जाता हो)

या

न्यूनतम 50% अंकों के साथ बी०ए०/बी०एस०सी० एवं शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक (बी०एड०)

या

न्यूनतम 45% अंकों के साथ बी०ए०/बी०एस०सी० एवं शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक (बी०एड०), जो इस संबंध में समय–समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानक और क्रियाविधि) विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो

या

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 (चार) वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र स्नातक (बी०एल०एड०)

या

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 (चार) वर्षीय बी०ए०/बी०एससी०एड० या बी०ए०एड०/बी०एससी०एड०

या

न्यूनतम 50% अंकों के साथ बी०ए०/बी०एससी० एवं एक वर्षीय बी०एड० (विशेष शिक्षा)

और

केन्द्र अथवा बिहार सरकार द्वारा कक्षा VI-VIII तक पढ़ाने के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु आयोजित "शिक्षक पात्रता परीक्षा" (टी०ई०टी०) में उत्तीर्ण।

(ख) मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था से अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम मान्य होगा। शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) और बी०एड० (विशेष शिक्षा) के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद् (आरसीआई) द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा।

(ग) जिसके पास डी०एड० (विशेष शिक्षा) या बी०एड० (विशेष शिक्षा) की योग्यता है, उसे नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(घ) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (स्कूलों में शिक्षकों की भर्त्ती के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण) विनियम, 2001 (समय–समय पर यथा संशोधित) के अनुसार 3 सितम्बर 2001 अथवा उसके बाद नियुक्त बी०एड० की योग्यता रखने वाले कक्षा I से V के शिक्षकों को प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

(ङ.) समकक्ष तकनीकी शिक्षा की डिग्री (पौलिटेकनिक, यूनानी शिक्षा आदि) तथा प्राच्यभाषा विशेष से संबंधित डिग्री (मौलवी, उप शास्त्री) सामान्य शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु मान्य नहीं है। किसी सोसाइटी अथवा ट्रस्ट के द्वारा स्थापित स्वैच्छिक संस्थानों द्वारा प्रदत्त भाषा विशेष की उपाधी/डिग्री भी शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु मान्य नहीं होगा।

(ii) <u>**नगर प्रारंभिक शिक्षक के स्नातक कोटि (कक्षा VI-VIII) के 50 प्रतिशत पद, जो प्रोन्नति से भरे जाऐंगे, से संबंधित आवश्यक अर्हता निम्नवत् होगी**</u> :–

(क) नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि (कक्षा I-V) के पद पर योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि (जो बाद की तिथि हो) से न्यूनतम 08 वर्ष की लगातार सेवा हो।

(ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विनिर्दिष्ट विषय में स्नातक की योग्यता हो। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड/मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना द्वारा प्रदत्त आलिम की डिग्री एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्री की डिग्री को स्नातक के समतुल्य माना जायेगा।

(ग) मूल्यांकन (दक्षता जॉच)/शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो।

(घ) प्रोन्नति वर्ष के 03 वर्ष पूर्व तक का यथा निर्देशित स्वच्छता प्रमाण पत्र।

परन्तु प्रोन्नति हेतु योग्य शिक्षक नहीं मिलने पर इन पदों पर सीधी नियुक्ति से पद भरे जाऐंगे। इस हेतु संबंधित नियोजन इकाई से सूचना संग्रह अथवा परामर्श के आधार पर प्रशासी विभाग द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत किए जाऐंगे।

(3) <u>**नगर प्रारंभिक शिक्षक संवर्ग में मध्य विद्यालयों में प्रधान अध्यापक के सभी पद प्रोन्नति से भरे जाऐंगे। इसे हेतु आवश्यक अर्हता निम्नवत् होंगी**</u> :–

(i) नगर प्रारंभिक शिक्षक संवर्ग के स्नातक कोटि के पद पर योगदान की तिथि अथवा अनुमान्य प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि (जो बाद की तिथि हो) से न्यूनतम 05 वर्ष की लगातार सेवा हो,

(ii) न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक के साथ स्नातक की योग्यता हो।

(iii) मूल्यांकन (दक्षता जॉच)/शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो।

(iv) प्रोन्नति वर्ष के 03 वर्ष पूर्व तक का यथा निर्देशित स्वच्छता प्रमाण पत्र।

6. <u>**उर्दू शिक्षकों/संस्कृत शिक्षकों/बांग्ला शिक्षकों की नियुक्ति**</u> :–

(i) प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के उर्दू पदों पर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड/मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना द्वारा प्रदत्त मौलवी/आलिम अथवा

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से उर्दू में इन्टरमीडिएट /स्नातक की योग्यता रखनेवाले (इन्टरमीडिएट में न्यूनतम 50 अंकों का उर्दू विषय) एवं नियम 5 में निर्धारित शिक्षक प्रशिक्षण योग्यताधारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी।

(ii) संस्कृत शिक्षकों के पदों पर कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त उप शास्त्री/शास्त्री अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से संस्कृत की स्नातक की योग्यता एवं नियम 5 में निर्धारित शिक्षक प्रशिक्षण योग्यताधारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी।

(iii) बांग्ला शिक्षकों के पदों पर बांग्ला भाषा में इन्टर स्तर की योग्यता अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से बांग्ला में स्नातक की योग्यता एवं नियम 5 में निर्धारित शिक्षक प्रशिक्षण योग्यताधारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी।

7. <u>आरक्षण</u> –

''नगर प्रारंभिक शिक्षक'' की नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के द्वारा आरक्षण के लिए अधिसूचित नियमों के अधीन जिला स्तर पर प्रत्येक विषय के लिए तैयार आरक्षण रोस्टर के अनुसार किया जाएगा। अनुदेशकों की नियुक्ति भी इसी के अनुसार की जाएगी। साथ ही, राज्य सरकार के अधीन प्रोन्नति में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान नगर निकाय अन्तर्गत होने वाले प्रोन्नति पर भी प्रभावी होगा।

8. <u>महिला एवं दिव्यांगजनों की नियुक्ति</u> –

(i) सीधी नियुक्ति से भरे जाने वाले पदों पर प्रत्येक विषय (अनुदेशक सहित) में न्यूनतम 50% महिला अभ्यर्थी की नियुक्ति की जाएगी। विषम संख्या रहने पर अंतिम पद महिला के लिए चिन्हित किया जाएगा।

(ii) नगर प्रारंभिक शिक्षक की प्रत्येक विषय (अनुदेशक सहित) में दिव्यांगजनों के लिए क्षैतिज आरक्षण का वही प्रावधान लागू होगा, जो बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की नियमावली/अधिसूचना/संकल्प के अनुसार निर्धारित किया गया हो।

9. <u>आयु</u> – नियोजन वर्ष के पहली अगस्त को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु मूल कोटि के शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए 18 वर्ष तथा स्नातक कोटि के शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए 21 वर्ष एवं आरक्षण कोटिवार अधिकतम आयु सीमा वही होगी, जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) के द्वारा समय–समय पर विहित किया गया हो। अनुदेशक के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होगी एवं आरक्षण कोटिवार अधिकतम आयु सीमा वही होगी, जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) के द्वारा समय–समय पर विहित किया गया हो।

10. <u>नियुक्ति की प्रक्रिया</u> –

(i) भारत का नागरिक और बिहार राज्य के निवासी ही आवेदन करेंगे।

(ii) प्रशासी विभाग द्वारा जिला के माध्यम से संबंधित नियोजन इकाईयों को नगर शिक्षकों (अनुदेशक सहित) के नियुक्ति हेतु पदों की संख्या संसूचित की जाएगी।

(iii) प्रशासी विभाग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नगर निकाय की नियोजन समिति के सदस्य सचिव के द्वारा विषयवार एवं कोटिवार नगर शिक्षक तथा अनुदेशक के रिक्त पदों पर नियुक्ति की सूचना (नियुक्ति संबंधी सभी शर्त्तों के विवरण सहित) का प्रकाशन पूरे

नगर क्षेत्र में किया जाएगा। सूचना की एक प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट्ट एवं जिला के NIC के Website पर भी प्रकाशित की जाएगी। आवेदन पत्र जमा करने हेतु कम–से–कम 30 दिनों का समय दिया जाएगा।

(iv) योग्यताधारी अभ्यर्थियों के द्वारा विहित प्रपत्र (यथा–निदेशित) में आवेदन पत्र नियोजन समिति के सदस्य सचिव के यहाँ हाथो–हाथ, स्पीड पोस्ट अथवा निबंधित डाक से दिया जाएगा।

(v) नगर प्रारंभिक शिक्षक संवर्ग में सीधी नियुक्ति मेधा सूची के आधार पर होगी। मेधा सूची विषयवार होगा, जिसकी वैद्यता अंतिम मेधा सूची प्रकाशन की तिथि से अधिकतम एक वर्ष के लिए होगी।

(vi) <u>मेधा सूची का निर्माण</u> –

नगर निकाय अन्तर्गत नियोजन इकाई के स्तर पर मेधा सूची का निर्माण नियोजन समिति के सदस्य सचिव एवं संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा नामित शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी–सह–सदस्य, नियोजन समिति द्वारा संयुक्त रुप से किया जाएगा, किन्तु मुख्य उत्तरदायित्व नियोजन समिति के सदस्य सचिव की होगी। नियोजन समिति के सदस्य सचिव मेधा सूची की तैयारी हेतु स्थान एवं तिथि आदि तय कर दूसरे सदस्य से आवश्यक सहयोग लेंगे। मेधा सूची के प्रत्येक पेज पर मेधा सूची निर्माण करने वाले दोनों सदस्यों का हस्ताक्षर होगा।

(क) <u>मूल कोटि के नगर प्रारंभिक शिक्षक के नियुक्ति हेतु मेधा सूची</u> :–

(i) मैट्रीक परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक का प्रतिशत

योग

(ii) इन्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक का प्रतिशत

योग

(iii) प्रशिक्षण परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक का प्रतिशत

उपर्युक्त तीनों को जोड़कर तीन से भाग देने पर प्राप्त प्रतिशत अंक अभ्यर्थी का मेधा अंक होगा। भूतपूर्व सैनिकों की विधवा को मेधा अंक में 10 अंकों का अतिरिक्त वेटेज देय होगा।

मेधा अंक समान होने पर जिनकी जन्म तिथि पहले होगी उन्हें मेधा सूची में ऊपर रखा जायेगा। समान अंक एवं समान जन्म तिथि होने पर अंग्रेजी के शब्दकोष के अनुसार जिस अभ्यर्थी का नाम पहले होगा, उसका मेधा सूची में ऊपर स्थान निर्धारित किया जाएगा। इसमें भी समानता होने पर लॉटरी के माध्यम से संबंधित अभ्यर्थी का स्थान मेधा सूची में निर्धारित किया जाएगा।

(ख) <u>स्नातक कोटि के नगर प्रारंभिक शिक्षक के नियुक्ति हेतु मेधा सूची</u> –

(i) स्नातक स्तर पर पठित सभी विषयों का प्राप्तांक का प्रतिशत

योग

(ii) प्रशिक्षण परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक का प्रतिशत

उपर्युक्त दोनों को जोड़कर दो से भाग देने पर प्राप्त प्रतिशत अंक अभ्यर्थी का मेधा अंक होगा। भूतपूर्व सैनिकों की विधवा को मेधा अंक में 10 अंकों का अतिरिक्त वेटेज देय होगा।

मेधा अंक समान होने पर जिनकी जन्म तिथि पहले होगी उन्हें मेधा सूची में ऊपर रखा जायेगा। समान अंक एवं समान जन्म तिथि होने पर अंग्रेजी के शब्दकोष के अनुसार जिस अभ्यर्थी का नाम पहले होगा, उसका मेधा सूची में ऊपर स्थान निर्धारित किया जाएगा। इसमें भी समानता होने पर लॉटरी के माध्यम से अभ्यर्थीगण का स्थान मेधा सूची में निर्धारित किया जाएगा।

नोटः– प्राप्तांकों की गणना अतिरिक्त एवं ऐच्छिक विषयों के अंकों को छोड़कर की जायेगी। किन्तु जहाँ ऐच्छिक विषय अनिवार्य विषय के रुप में हो, वहाँ गणना की जायेगी। स्नातक योग्यता के लिए पठित सभी विषयों (अतिरिक्त एवं ऐच्छिक को छोड़कर) के प्राप्तांक के जोड़ को माना जायेगा। स्नातक के साथ प्रतिष्ठा/समकक्ष योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी के लिए सहायक विषयों एवं प्रतिष्ठा एवं समकक्ष योग्यता के विषयों के प्राप्तांकों को जोड़कर कुल प्राप्तांक निकाला जायेगा।

(vii) **नगर निकाय अन्तर्गत नियोजन समिति का गठन–**

(क) नगर पंचायत/नगर परिषद् के लिए समिति :–

क	मुख्य पार्षद, नगर पंचायत/नगर परिषद्	–अध्यक्ष
ख	नगर पंचायत/नगर परिषद की शिक्षा समिति का एक चयनित सदस्य (पुरूष अध्यक्ष होने पर चयनित सदस्य महिला होगी)	–सदस्य
ग	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत/नगर परिषद	–सदस्य सचिव
घ	संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा नामित शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी	–सदस्य

उपर्युक्त में अगर कोई अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं हो, तो जिला पदाधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसी पदाधिकारी को नामित करेंगे।

नगर पंचायत/नगर परिषद के शिक्षा समिति द्वारा चयनित सदस्य का कार्यकाल एक वर्ष का होगा।

टिप्पणी :– नगर पंचायत/नगर परिषद का शिक्षा समिति गठित नहीं होने की स्थिति में संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा मनोनीत एक अनुमंडल स्तरीय पदाधिकारी सदस्य होगे।

(ख) नगर निगम के लिए समिति :–

क	नगर निगम का महापौर	–अध्यक्ष
ख	नगर निगम की शिक्षा समिति का एक चयनित सदस्य (पुरूष अध्यक्ष होने पर चयनित सदस्य महिला होगी)	–सदस्य
ग	नगर निगम के नगर आयुक्त	–सदस्य सचिव
घ	संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा नामित शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी	–सदस्य

उपर्युक्त में अगर कोई अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं हो, तो जिला पदाधिकारी अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के किसी पदाधिकारी को नामित करेंगे।

नगर निगम के शिक्षा समिति द्वारा चयनित सदस्य का कार्यकाल एक वर्ष का होगा।

टिप्पणी :– नगर निगम का शिक्षा समिति गठित नहीं होने की स्थिति में संबंधित नगर आयुक्त द्वारा मनोनीत एक जिला स्तरीय पदाधिकारी सदस्य होगे।

(ग) <u>**मेधा सूची का अनुमोदन**</u> :–

(i) नियोजन समिति के सदस्य सचिव के द्वारा समिति की बैठक में मेधा सूची अनुमोदन हेतु रखा जायेगा।

(ii) मेधा सूची अनुमोदित हो जाने पर उसे सार्वजनिक किया जायेगा। किसी प्रकार की आपत्ति देने हेतु 15 (पन्द्रह) दिनों का समय दिया जायेगा। प्राप्त आपत्ति का निराकरण कर मेधा सूची को अन्तिम रुप दिया जायेगा। अन्तिम मेधा सूची को सार्वजनिक किया जाएगा। अंतिम मेधा सूची एवं आरक्षण बिन्दु को ध्यान में रखकर चयन सूची, जिसमें उपलब्ध कोटिवार रिक्ति के अधिकतम 05 गुणा तक अभ्यर्थी सम्मिलित हों, नियोजन इकाई के द्वारा तैयार कर उसे भी सार्वजनिक किया जाएगा।

(घ) <u>**नियुक्ति पत्र**</u> :–

(i) नियोजन इकाई को आवंटित पदों की संख्या के अनरुप चयनित अभ्यर्थी को समिति के सदस्य सचिव के हस्ताक्षर से निबंधित डाक के द्वारा नियुक्ति पत्र (चयनित अभ्यर्थी के फोटोग्राफ युक्त) भेजा जायेगा। योगदान हेतु 30 (तीस) दिनों का समय दिया जायेगा, जिसका उल्लेख नियुक्ति पत्र में होगा। विद्यालय के प्रधान शिक्षक/प्रधान अध्यापक द्वारा नियुक्ति पत्र की सम्पुष्टि नियोजन इकाई से कराने के उपरान्त चयनित अभ्यर्थियों का योगदान स्वीकृत किया जायेगा।

(ii) 30 (तीस) दिनों के बाद रिक्त रह गये पदों पर पुनः रिक्ति की संख्या के अनुसार चयन सूची के आधार पर नियुक्ति पत्र निर्गत किया जायेगा। पुनः 30 (तीस) दिनों के पश्चात् रिक्ति रहने पर रिक्ति की संख्या के अनुसार चयन सूची के आधार पर नियुक्ति पत्र निर्गत किया जायेगा। इस प्रकार कुल तीन समव्यवहार के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया सामान्यतः समाप्त मानी जायेगी। परन्तु प्रशासी विभाग से अनुमति प्राप्त कर उक्त समव्यवहार को संबंधित नियोजन इकाई द्वारा विस्तारित किया जा सकता है।

(iii) योगदान के समय संबंधित अभ्यर्थियों के असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा दिया गया स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं संबंधित जिला के सक्षम पुलिस पदाधिकारी के स्तर से निर्गत चरित्र/पूर्ववृत्त सत्यापन प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा।

(iv) नियुक्ति एवं योग्यता से संबंधित सभी अभिलेख/कागजातों की अभिप्रमाणित छायाप्रति संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/विद्यालय उप–निरीक्षक को संबंधित नगर निकाय के सदस्य सचिव के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

(v) नियुक्ति की प्रक्रिया को अभ्यर्थियों के अनुकूल बनाने हेतु प्रशासी विभाग द्वारा वेब पोर्टल (सॉफ्टवेयर) बनवाकर नियोजन इकाई की स्वायत्तता बरकरार रखते हुए उक्त नियुक्ति की प्रक्रिया में परिवर्तन कर सकेगा।

11. **<u>शारीरिक शिक्षा, आर्ट एवं कार्य विषय के लिए अनुदेशक की नियुक्ति</u>** :–

मध्य विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक, आर्ट (संगीत एवं ललित कला) अनुदेशक तथा कार्य अनुदेशक की नियुक्ति की जाएगी।

<u>अर्हताः</u>–

(i) **<u>अनुदेशकः शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य</u>** :–

(क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 50% अंकों सहित उच्च माध्यमिक (कक्षा XII अथवा इसके समतुल्य)

अथवा

ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने उच्च माध्यमिक परीक्षा (+2) अथवा इसके समतुल्य परीक्षा पास की है तथा जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम, 2007 (10.02.2007) के अनुसार कम से कम स्कूल/कॉलेज/जिला स्तर पर खेलकूद/खेलों में भाग लिया हो।

अथवा

13.11.2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता के लिए आवेदन पत्र, आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम, 2002 के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 50% अंकों सहित उच्च माध्यमिक (कक्षा XII अथवा इसके समतुल्य)

तथा

(ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से शारीरिक शिक्षा में कम से कम दो वर्ष के प्रमाण पत्र/डिप्लोमा (अथवा इसके समतुल्य)

(ii) **<u>अनुदेशकः ललित कला एवं संगीत</u>** :–

(क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण।

(ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ललित कला में नियमित कोर्स में स्नातक डिग्री/संगीत में स्नातक/डिप्लोमा या समकक्ष योग्यता।

(iii) **<u>अनुदेशकः कार्यानुभव</u>** :–

(क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण।

(ख) NCVT, CTVT या बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 1 (एक) वर्ष का सर्टिफिकेट/डिप्लोमा।

<u>अनुदेशकों का चयन</u> :– अनुदेशक के पदों पर चयन हेतु अनुदेशक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। इनके नियुक्ति की प्रक्रिया संबंधित दिशा–निदेश प्रशासी विभाग द्वारा अलग से निर्गत किया जाएगा।

12. **अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति** :–

प्राथमिक/मध्य विद्यालयों में जिला संवर्ग में पूर्व से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक/प्रधानाध्यापक, नगर निकाय के नियोजन इकाई के क्षेत्राधीन नियुक्त शिक्षक एवं इस नियमावली के आलोक मे नियुक्त/प्रोन्नत होने वाले शिक्षकों एवं प्रधान अध्यापक की सेवाकाल में मृत्यु होने पर उनके एक अर्हत्ताधारी आश्रित को संबंधित नगर निकाय अन्तर्गत नगर प्रारंभिक शिक्षक संवर्ग के मूल कोटि के पद पर उपलबध रिक्तियों के विरूद्ध अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त किया जा सकता है। इस हेतु संबंधित आश्रित को सहमति देना आवश्यक होगा। अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विहित प्रावधानों के अनुरूप संबंधित नियोजन समिति के द्वारा किया जा सकेगा। इसके इतर भी अनुकंपा पर नियुक्ति की व्यवस्था प्रशासी विभाग द्वारा संकल्प निर्गत कर किया जा सकता है। अनुदेशकों के आश्रितों को अनुकम्पा पर नियोजन का लाभ देय नहीं होगा।

13. **प्रमाण–पत्रों की जाँच**

नियोजन इकाई के सदस्य सचिव का यह दायित्व होगा कि शिक्षकों/अनुदेशकों के शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण–पत्रों की यथा आवश्यक जाँच करा ली जायेगी। प्रमाण–पत्र जाली या गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन इकाई के सदस्य सचिव के द्वारा नियुक्ति प्राधिकार की सहमति से संबंधित की नियुक्ति रद्द करते हुए वेतनादि के मद में दिए गए राशि की वसूली कर कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी। समय पर प्रमाण–पत्रों की जाँच करा लेना नियोजन इकाई के सदस्य सचिव की जिम्मेवारी होगी। अन्यथा जाली/गलत प्रमाण–पत्रों पर शिक्षकों/अनुदेशकों के अवैध भुगतान के लिए वे भी जिम्मेवार होंगे।

14. **सेवा संबंधी शर्त्ते**

(i) प्रधान अध्यापक, शिक्षक एवं अनुदेशक अधिकतम 60 वर्ष की आयु तक नियुक्त रह सकेंगे।

(ii) नियुक्ति के बाद प्रथम 02 वर्ष की अवधि परीक्ष्यमान अवधि होगी। इस अवधि में निर्धारित आचरण संहिता का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में स्पष्टीकरण का मात्र एक अवसर प्रदान करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संबंधित की सेवा समाप्त की जा सकती है।

(iii) क्रमशः नगर पंचायत, नगर परिषद् एवं नगर निगम द्वारा प्रधान अध्यापक, शिक्षक एवं अनुदेशक को वेतनादि/नियत वेतन के भुगतान हेतु सक्षम होने तक राज्य सरकार द्वारा अनुदान की राशि दी जायेगी।

(iv) प्रधान अध्यापक एवं शिक्षक "Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952" में सन्निहित ई0पी0एफ0 योजना से prospective रूप से आच्छादित होंगे। इनकी मासिक परिलब्धियाँ अन्तर्गत 15000 रूपये प्रति माह के वेतन की राशि पर राज्य सरकार द्वारा अंशदान हेतु अनुदान की राशि दी जाएगी।

(v) प्रधान अध्यापक एवं शिक्षक को समय–समय पर निर्धारित वेतन (वेतन वृद्धि सहित) एवं अन्य भत्ता देय होगा। जो शिक्षक, शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होंगे, उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ पूर्व के नियमावली अन्तर्गत विहित मूल्यांकन (दक्षता जाँच) में

उत्तीर्ण होने के उपरांत ही देय होगा। इस प्रकार वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा अथवा मूल्यांकन (दक्षता जाँच) उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। वेतनादि के भुगतान हेतु अनुदान की राशि का आवंटन प्रशासी विभाग द्वारा विहित प्रक्रियान्तर्गत किया जाएगा। इसी प्रकार अनुदेशक को समय–समय पर निर्धारित नियत वेतन एवं वेतन वृद्धि देय होगा।

(vi) प्रशासी विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप शिक्षकों की आपसी वरीयता का निर्धारण आवश्यकतानुसार संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव के द्वारा किया जाएगा।

(vii) **<u>सेवा की निरंतरता</u>** :–

पूर्व से कार्यरत शिक्षक का अपने नियोजन इकाई अथवा अन्य नियोजन इकाई अन्तर्गत उच्च वेतनमान अथवा उच्च कोटि के पद पर नियुक्त होने की स्थिति में सेवा निरन्तरता का लाभ देते हुए मात्र वेतन संरक्षण का लाभ देय होगा। यह लाभ इस नियमावली के प्रवृत्त होने के उपरांत नियुक्त होने वाले शिक्षकों को ही देय होगा। इस क्रम में प्रशासी विभाग द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश अलग से निर्गत किया जाएगा।

15. **<u>स्थानान्तरण</u>** :–

प्रधान अध्यापक, शिक्षक एवं अनुदेशक के पद सामान्यतः अस्थानान्तरणीय होगा। परन्तु प्रधान अध्यापक एवं शिक्षक इसमें निम्न अपवाद होंगे :–

(i) प्रधान अध्यापक एवं शिक्षक को अपनी सेवा काल में तीन वर्षों के उपरांत नियोजन इकाई के क्षेत्राधीन विद्यालयों में अधिकतम दो ऐच्छिक स्थानान्तरण लेने की सुविधा रहेगी। दो ऐच्छिक स्थानान्तरण के बीच कम–से–कम पाँच वर्षों का अन्तराल आवश्यक होगा। स्थानान्तरण शिक्षक की अपनी ही संवर्ग में किया जा सकेगा। यदि किसी विद्यालय के एक रिक्त पद हेतु एक से अधिक स्थानान्तरण के आवेदन प्राप्त होते हैं, तो क्रमशः दिव्यांग प्रधान अध्यापक एवं शिक्षक तथा महिला प्रधान अध्यापक एवं शिक्षिका को प्राथमिकता देते हुए आपसी वरीयता के आधार पर स्थानान्तरण की कार्रवाई संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव के द्वारा अध्यक्ष की सहमति से की जायेगी।

(ii) बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 (समय–समय पर यथा संशोधित) एवं तद्नुरूप अधिसूचित नियमावली में निहित प्रावधानों के अनुपालन में प्रशासी विभाग द्वारा किसी अन्य विद्यालय में शिक्षकों के सामंजन का आदेश नियोजन इकाई को दिया जा सकेगा। इसका अनुपालन निर्धारित समय–सीमा में नियोजन इकाई के सदस्य सचिव के द्वारा अध्यक्ष की सहमति से की जाएगी।

(iii) वित्तीय अनियमितता, नैतिक अधमता (**moral turpitude**) अथवा गंभीर आरोप प्रमाणित होने की स्थिति में विद्यालय एवं छात्र हित में प्रधान अध्यापक/शिक्षक का प्रशासनिक दृष्टिकोण से एक बार स्थानान्तरण संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव के द्वारा अध्यक्ष की सहमति से की जायेगी।

(iv) दिव्यांग शिक्षक एवं महिला शिक्षिका को अंतर नियोजन इकाई (अंतर जिला सहित) में एक बार ऐच्छिक स्थानान्तरण की सुविधा होगी। साथ ही, पुरूष शिक्षकों को एक बार अंतर नियोजन इकाई (अंतर जिला सहित) में पारस्परिक स्थानांतरण की सुविधा होगी। इस हेतु आरक्षण कोटि, वरीयता आदि को ध्यान में रखकर प्रशासी विभाग द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश अलग से निर्गत किया जाएगा।

16. **प्रोन्नति** :–

(i) नगर प्रारंभिक शिक्षक संवर्ग के स्नातक कोटि एवं प्रधान अध्यापक के पद पर प्रोन्नति हेतु मेधा सूची का निर्माण किया जाएगा। इस हेतु क्रमशः नगर पंचायत, नगर परिषद् एवं नगर निगम स्तर पर नियुक्ति के लिए गठित समिति सक्षम प्राधिकार होगा। प्रशासी विभाग द्वारा प्रोन्नति से संबंधित विस्तृत दिशा–निर्देश अलग से निर्गत किया जाएगा।

(ii) नगर प्रारंभिक शिक्षक संवर्ग के मूल कोटि के शिक्षक के पद पर योगदान की तिथि अथवा अनुमान्य प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि (जो बाद की तिथि हो) से न्यूनतम 12 वर्ष की लगातार संतोषजनक सेवा के आधार पर अगले वेतनमान (स्नातक कोटि) में प्रोन्नति दी जायेगी। इस हेतु मूल्यांकन (दक्षता जाँच)/शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। प्रोन्नति के फलस्वरुप इस कोटि के शिक्षक अपने ही कोटि में रहेंगे।

17. **आचरण संहिता** :–

(i) शिक्षक के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को सुगम एवं सुलभ ढ़ंग से पूर्ण करना।

(ii) समय पर विद्यालय आना और निर्धारित रूटीन के अनुसार कक्षा का संचालन करना।

(iii) बाल अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करते हुए बच्चों को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं करना।

(iv) प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निजी व्यापार में संलग्न नहीं होना।

(v) किसी प्रकार के नशा का सेवन नहीं करना।

(vi) सामाजिक कुरीतियों विशेषकर बाल–विवाह एवं दहेज–प्रथा को दूर करने में सक्रिय भूमिका निभाना।

(vii) विद्यालय शिक्षा समिति, नियुक्ति प्राधिकार, जिला पदाधिकारी एवं जिला स्तरीय शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों द्वारा समय–समय पर दिए जाने वाले निदेशों का अनुपालन करना।

(viii) बच्चों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (समय–समय पर यथा संशोधित) एवं बिहार बच्चों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (समय–समय पर यथा संशोधित) के तहत शिक्षकों के लिए निर्धारित निदेशों का अनुपालन करना।

(ix) किसी भी राजनीतिक दल का अथवा राजनीति में भाग लेने वाले किसी संगठन का न तो सदस्य होना, न अन्यथा रूप से उससे सहयुक्त होना।

18. **अनुशासनिक कार्रवाई :–**

कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा नहीं रखने, निर्धारित आचरण संहिता का निर्वहन नहीं करने एवं छात्र हित/विद्यालय हित के विरूद्ध कार्य करने की स्थिति में संबंधित शिक्षक, प्रधान अध्यापक एवं अनुदेशक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने हेतु अनुशासनिक प्राधिकार सक्षम होंगे।

उन्हें किसी मामले में जेल में होने अथवा सरकारी राशि के गबन के प्रथम दृष्ट्या साबित होने/अनधिकृत अनुपस्थिति/उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना हेतु मामला प्रथम दृष्ट्या साबित होने पर, नियोजन इकाई के सदस्य सचिव के द्वारा संबंधित को निलम्बित किया जा सकता है। निलम्बन अथवा विभागीय कार्यवाही की दशा में आरोप पत्र गठित कर जाँच पदाधिकारी से जाँच कराई जायेगी। संबंधित के विरूद्ध समुचित एवं यथेष्ट कारण होने की स्थिति में निम्नलिखित दण्ड अधिरोपित की जा सकेगी :–

(क) लघु दंड– (i) निन्दन
(ii) वेतनवृद्धि पर रोक (असंचयात्मक/संचयात्मक)

(ख) वृहत दंड– (i) प्रोन्नति पर रोक
(ii) निम्न पद पर अवनति
(iii) निम्न वेतन स्तर पर अवनति
(iv) सेवाच्यूति जो किसी भावी नियुक्ति/नियोजन हेतु निर्हरता नहीं होगी।

(ii) लघु दण्ड देने के पूर्व नियोजन इकाई के सदस्य सचिव के द्वारा स्पष्टीकरण का एक अवसर संबंधित को देना आवश्यक होगा। लघु दण्ड के संसूचन के पूर्व इसपर अध्यक्ष, नियोजन समिति की सहमति आवश्यक होगा। वृहत दण्ड देने के पूर्व नियोजन इकाई के सदस्य सचिव द्वारा संबंधित को कम–से–कम दो अवसर स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु देना आवश्यक होगा। वृहत्त दण्ड के संसूचन के पूर्व इसपर अनुशासनिक प्राधिकार की सहमति आवश्यक होगा।

(iii) निलम्बन अवधि में मूल वेतन का 50% राशि जीवन निर्वाह भत्ता के रूप में देय होगा।

(iv) दंड सम्बन्धी आदेश संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव के हस्ताक्षर से निर्गत होगा। आदेश में उन तथ्यों का पूर्ण ब्यौरा अंतर्विष्ट होगा, जिसके आधार पर संबंधित को प्रासंगिक दंड के योग्य पाया गया है।

(v) जिला प्रशासन अथवा शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान किसी प्रधान अध्यापक, शिक्षक अथवा अनुदेशक को विद्यालय से बिना सूचना अनुपस्थित पाये जाने पर स्पष्टीकरण पूछा जाएगा। स्पष्टीकरण असंतोषप्रद होने पर संबंधित प्रधान अध्यापक, शिक्षक अथवा अनुदेशक की अनुपस्थित अवधि का वेतन काटने का निदेश "No work no pay" सिद्धांत के आधार पर दिया जा सकेगा।

19. **सेवा पुस्ति का संधारण :–**

शिक्षक, प्रधान अध्यापक एवं अनुदेशक की सेवा पुस्ति के संधारण हेतु प्रशासी विभाग द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश अलग से निर्गत किया जाएगा।

20. **अवकाश :–**

(1) इस नियमावली के अधीन नियुक्त होने वाले शिक्षकों एवं प्रधान अध्यापक को निम्न अवकाश देय होगा :–

(i) आकस्मिक अवकाश :– एक कैलेण्डर वर्ष में 16 (सोलह) दिनों का आकस्मिक अवकाश देय होगा। यह अवकाश (अन्य अवकाश सहित) एक साथ 10 (दस) दिनों से अधिक के लिए नहीं दिया जा सकेगा।

(ii) विशेष अवकाश :– महिला शिक्षिकाओं को प्रत्येक माह में दो दिनों का विशेष अवकाश अनुमान्य होगा। यह अवकाश महिला प्रधान शिक्षक को भी देय होगा।

(iii) मातृत्व अवकाश :– महिला शिक्षक 180 दिनों की मातृत्व अवकाश की हकदार होंगी। मातृत्व अवकाश का लाभ मात्र पहले दो संतानों के लिए ही होगा। यह अवकाश महिला प्रधान शिक्षक को भी देय होगा।

(iv) पितृत्व अवकाश :– पुरूष शिक्षक 15 दिनों के पितृत्व अवकाश के हकदार होंगे। पितृत्व अवकाश का लाभ मात्र पहले दो संतानों के लिए ही होगा। यह अवकाश पुरूष प्रधान अध्यापक को भी देय होगा।

(v) चिकित्सा अवकाश :– एक कैलेण्डर वर्ष में 20 (बीस) दिनों का चिकित्सा अवकाश, चिकित्सा प्रमाण–पत्र के आधार पर अनुमान्य होगा। पूरी सेवा अवधि में कुल 120 दिनों तक ही चिकित्सा अवकाश संचित होगा। किसी भी एक कैलेण्डर वर्ष में यह अवकाश 90 दिनों के लिए ही एक साथ लिया जा सकेगा। इसे आकस्मिक अवकाश के साथ पूर्व या पश्चात् जोड़ा जा सकेगा।

(vi) अर्जित अवकाश :– शिक्षकों को प्रथम दो वर्ष की सेवा के उपरान्त प्रत्येक वर्ष में ग्यारह (11) दिनों की छुट्टी अर्जित करते हुए अधिकत्तम 120 दिनों तक संचित होगा। 120 दिनों से अधिक अर्जित अवकाश स्वतः समाप्त हो जायेगा।

(vii) अध्ययन अवकाश :– शिक्षक को उनकी सेवा अवधि में अधिकतम तीन वर्ष के लिए अवैतनिक अध्ययन अवकाश अनुमान्य होगा। इस अवकाश की अवधि को सेवा में टूट नहीं माना जाएगा।

यह अवकाश योगदान के 03 वर्ष की न्यूनतम कालावधि पूर्ण करने के उपरांत ही देय होगा। साथ ही, अध्ययन अवकाश उपभोग करने के उपरांत संबंधित शिक्षक को एक नियत अवधि तक कार्य करना आवश्यक होगा। इस हेतु प्रशासी विभाग द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश अलग से निर्गत किया जाएगा।

(viii) असाधारण अवकाश :– उपर्युक्त अवकाशों के अतिरिक्त, किसी कारणवश एक कैलेन्डर वर्ष में 30 दिनों की अवधि के लिए अवैतनिक "असाधारण अवकाश" अनुमान्य होगा। इसके कारण सेवा में टूट नहीं माना जायेगा। तत्पश्चात अनुपस्थित की अवधि को सेवा में टूट माना जायेगा तथा वेतन देय नहीं होगा। अधिकतम 05 वर्ष तक अनुपस्थित रहने की स्थिति में सेवा समाप्त हो जाएगा। इस हेतु संबंधित को एक स्पष्टीकरण का अवसर प्रदान करते हुए उन्हें सेवा से मुक्त करने की कार्रवाई नियम–10(vii)(क)/(ख) के तहत गठित समिति के द्वारा किया जा सकेगा।

(2) **अवकाश की स्वीकृति** :–

आकस्मिक अवकाश एवं विशेष अवकाश को छोड़कर शेष सभी प्रकार के अवकाशों की स्वीकृति संबंधित प्रधान अध्यापक/प्रभारी प्रधान अध्यापक की अनुशंसा पर संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव के द्वारा अध्यक्ष की सहमति से की जायेगी। आकस्मिक अवकाश एवं विशेष अवकाश की स्वीकृति संबंधित विद्यालय के प्रधान अध्यापक/प्रभारी प्रधान अध्यापक के द्वारा दी जायेगी। इस संवर्ग के प्रधान अध्यापक/प्रभारी प्रधान अध्यापक के आकस्मिक अवकाश एवं विशेष अवकाश की स्वीकृति संबंधित विद्यालय के विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष के द्वारा दी जाएगी। शिक्षक/प्रधान अध्यापक की सेवा–पुस्ति के साथ उनका अवकाश–लेखा का भी संधारण सम्यक रूप से किया जायेगा।

(3) **अनुदेशक के लिए अवकाश** :–

इस नियमावली के अधीन नियुक्त होने वाले अनुदेशक, जिनका पद अंशकालिक होगा, को आकस्मिक अवकाश, विशेष अवकाश, चिकित्सा अवकाश, मातृत्व अवकाश एवं पितृत्व अवकाश देय होगा। अवकाश स्वीकृत करने की प्रक्रिया वही होगी, जो शिक्षकों के लिए निर्धारित है।

21. **नियोजन इकाई पर कार्रवाई** :–

(i) बिना किसी उचित कारण के प्रशासी विभाग द्वारा निर्धारित नियोजन प्रक्रिया के अनुसार, नियोजन इकाई द्वारा शिक्षक/अनुदेशक की नियुक्ति नहीं करना उनके संवैधानिक दायित्वों का उल्लंघन माना जायेगा और इसके लिए उत्तरदायी पदाधिकारी तथा संबंधित निकाय के प्रतिनिधि के विरूद्ध बिहार नगर पालिका अधिनियम, 2007 के सुसंगत धाराओं के अधीन आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

(ii) प्रधान अध्यापक, शिक्षक अथवा अनुदेशक के संबंध में जिला पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर पर प्राप्त शिकायत की जांच कराने पर यदि शिकायत सही पाई जाती है और संबंधित प्रधान अध्यापक, शिक्षक अथवा अनुदेशक पर अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की जाती हो, तो नियोजन इकाई द्वारा अनुशंसा प्राप्त होने की तिथि से अधिकतम 60 दिनों के अन्तर्गत अपेक्षित अनुशासनिक कार्रवाई करना आवश्यक होगा। अन्यथा की स्थिति में संबंधित नियोजन प्राधिकार के विरूद्ध कार्रवाई की अनुशंसा नगर विकास एवं आवास विभाग से की जायेगी, जिसपर नगर विकास एवं आवास विभाग के स्तर पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

22. **शिकायत एवं अपील** :–

इस नियमावली के अधीन नियुक्ति संबंधी शिकायत/अपील तथा इस नियमावली के अधीन कार्यरत प्रधान अध्यापक/शिक्षक/ अनुदेशक की सेवाशर्त आदि से जुड़े मामलों पर अपील सुनकर विनिश्चय करने की शक्ति जिला स्तर पर गठित "जिला अपीलीय प्राधिकार" की होगी। जिला अपीलीय प्राधिकार के निर्णय पर अपील सुनने हेतु राज्य स्तर पर गठित "राज्य अपीलीय प्राधिकार" सक्षम होगा।

23. **प्रकीर्ण** :–

(i) राज्य सरकार इस नियमावली के किसी भी प्रावधान को स्पष्ट कर सकेगी तथा इसे लागू करने में उत्पन्न कठिनाई को दूर कर सकेगी।

(ii) इस नियमावली का प्रभाव पूर्व की नियमावलियों द्वारा नियुक्त राजकीय, राजकीयकृत प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के जिला संवर्ग के शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों के वेतन एवं सेवा शर्त्त पर नहीं होगा।

(iii) राज्य सरकार विषयवार शिक्षकों के नियोजन हेतु निर्दिष्ट विषय एवं विभिन्न अर्हत्ताओं के समतुल्य डिग्री/उपाधि निर्धारित कर सकेगी।

24. **निरसन एवं व्यावृति** :–

(i) इस नियमावली के प्रभावी होने की तिथि से शहरी क्षेत्र के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के शिक्षकों/अनुदेशक की नियुक्ति एवं सेवाशर्त से संबंधित बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2012 एवं संशोधित नियमावली, 2014 एवं 2015 निरसित मानी जाएगी। परन्तु इस निरसन के होते हुए भी इस नियमावली के प्रवृत होने की तिथि के पूर्व तत्कालीन प्रवृत्त नियमावली के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्रवाई मानी जाएगी मानों वे सभी इस नियमावली के अधीन किये गए हों।

(ii) पूर्व के नियमावली के क्रियान्वयन के क्रम में निर्गत अधिसूचनाएँ, आदेश, परिपत्र, पत्र आदि में निहित वैसे निदेश, जो इस नियमावली के प्रावधान के अनुकूल नहीं होंगे, वह स्वतः इस नियमावली के प्रावधान के अनुरूप संशोधित समझे जाएंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(आर०के० महाजन)
अपर मुख्य सचिव
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक– 7/नियो०–12/2020................ पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि:–मुख्य सचिव, बिहार/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग /सभी निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग/माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/सभी जिला पदाधिकारी/ सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी उप विकास आयुक्त/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं कार्यक्रम पदाधिकारी (जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय)/सभी कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/सभी संबंधित नियोजन इकाई के अध्यक्ष, सचिव एवं अन्य सदस्यों/प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी/विद्यालय उप निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
अपर मुख्य सचिव
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक– 7/नियो०–12/2020................ पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि:–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इसे बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी 3000 (तीन हजार) प्रतियाँ प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, बिहार को उपलब्ध करायी जाए।

ह0/–
अपर मुख्य सचिव
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक– 7/नियो०–12/2020 710 पटना, दिनांक 21.08.2020

प्रतिलिपि:–आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना एवं आई0टी0 मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को संबंधित विभाग के वेबसाईट पर उक्त नियमावली की प्रति अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव
शिक्षा विभाग।